An ISO 9001:2015 certified

पत्रांकः MRE/33/164/2018-19 (Part-1)/..971 दिनांक: 14../04/2022

प्रेषक,

किरण कुमारी पासी, भा.प्र.से.
राज्य परियोजना निदेशक

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
सभी जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
झारखण्ड शिक्षा परियोजना,
झारखण्ड

विषयः निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1)(सी.) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों (अल्पसंख्यक विद्यालयों को छोड़कर) की प्रवेश कक्षाओं में 25 प्रतिशत कोटे के अंतर्गत नामांकन के लिए विद्यालयवार प्रवेश कक्षा में नामांकन की निर्धारित सख्या एवं 25 प्रतिशत कोटे के अंतर्गत नामांकन की संख्या उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशया/महाशय,

आप अवगत हैं कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1)(सी.) के अंतर्गत राज्य के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों (अल्पसंख्यक विद्यालयों को छोड़कर) की प्रवेश कक्षाओं में 25 प्रतिशत कोटे के अंतर्गत अभिवंचित समूह एवं कमजोर वर्ग वाले परिवार के बच्चों का नामांकन लिया जाता है । इन बच्चों के फीस की राशि की प्रतिपूर्त्ति समग्र शिक्षा के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा की जा रही है ।

यह योजना एक बड़ी ही महत्वकांक्षी योजना है जिससे हम समाज के विशेष समूह को सीधे तौर पर लाभ दे सकते हैं । परन्तु प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में उक्त कोटे की सीट पर पूर्ण नामांकन नहीं हो रहा है जिसे राज्य सरकार द्वारा काफी गंभीरता से लिया गया है । इन विद्यालयों की प्रवेश कक्षाओं की 25 प्रतिशत सीटों में पूर्ण रूप से नामांकन हो इसके लिए निम्नलिखित निदेश दिये जाते हैं:-

1. नोडल पदाधिकारी - जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, इसके नोडल पदाधिकारी नामित हैं ।

2. मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत कोटे के अंतर्गत सीटों की संख्या - 25 प्रतिशत कोटे के अंतर्गत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में उसके प्रवेश कक्षा में उपलब्ध सीटों की संख्या का वास्तवित संख्या की जानकारी होना आवश्यक है । इसके लिए प्रत्येक विद्यालय के नामांकन रजिस्टर के आधार पर उक्त विद्यालय की प्रवेश कक्षाओं में उपलब्ध सीटों की संख्या प्राप्त की जाय, जिससे सभी सीटों पर उक्त कोटि के बच्चों का नामांकन किया जा सके।

3. विद्यालयों में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र की जांच - गैर सरकारी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीट पर प्रवेश पाने के लिए

Scanned with CamScanner

An ISO 9001:2015 certified

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद
जे.एस.सी.ए. स्टेडियम रोड, जगन्नाथपुर, धुर्वा, राँची - 834004
दूरभाष - 0651-2444502 फैक्स: 2444506
ई-मेल: jepcranchi1@gmail.com

अभिभावकों द्वारा आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय या विद्यालयों में जमा किए जा रहे हो तो उनकी जांच जिला शिक्षा अधिक्षक कार्यालय में एक तीन-चार लोगों की कमिटि बनाकर की जायेगी जिसमे उक्त जिले के समग्र शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी एवं अन्य कर्मियों को संलग्न किया जाएगा। किसी भी स्थिति में संबंधित विद्यालय द्वारा नामांकन के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच नहीं की जायेगी ।

प्रत्येक जिला की कमिटि संबंधित विद्यालयों अथवा जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों की जांचोपरांत आवेदित विद्यालयों के लिए अंतिम सूची उपायुक्त के अनुमोदन के पश्चात् जारी करेंगे। कोई भी विद्यालय उक्त जारी सूची के आलोक में नामांकन से इनकार नहीं कर सकते है।

4. **RTE के लिए अलग खाता/लेजर खोलने के संबंध में** - आप अवगत है कि इस मद में नामांकित विधार्थियों की फीस की राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा अग्रिम के रूप में राशि सभी जिलों को उपलब्ध कराई गई है। फीस की राशि का भुगतान विद्यालयों को करने के उपरांत इसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा, समग्र शिक्षा के अंतर्गत उपलब्ध करा दी जाती है। अलग लेखांकन/अलग खाता नहीं होने के कारण भारत सरकार द्वारा पूर्व वर्षों से प्रतिपूर्ति की गई राशि को इस मद के लिए नहीं रखा जाना खेद जनक है। वैसी स्थिति में इस मद की राशि का लेखा अलग रखा जाए, जिससे विद्यालयों को समय पर फीस की राशि का भुगतान किया जा सके।
5. विद्यालयवार वर्षवार पूर्व प्राथमिक एवं कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए किए गए फीस के भुगतान एवं भारत सरकार द्वारा की गई प्रतिपूर्ति का विवरण अलग-अलग प्रतिवेदन दिनांक 21.04.2022 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. संबंधित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की फीस की राशि प्रतिवर्ष भुगतान की जानी है। प्रत्येक की वर्ष का फीस नवम्बर से दिसम्बर तक भुगतान कर दिया जाए एवं उसका विवरण प्रबंध पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाए । किसी भी स्थिति में विद्यालयों की फीस की राशि बकाया होने की स्थिति में इसकी जवाबदेही संबंधित जिले के नोडल पदाधिकारी की होगी।
7. प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में उनके प्रवेश कक्षा में सीट के विरूद्ध हुए/हो रहे नामांकन का वर्षवार/कक्षावार/कोटिवार बच्चो की संख्या से संबंधित सूचना इस कार्यालय को 15 जून तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन
13/04/22
(किरण कुमारी पासी)
राज्य परियोजना निदेशक

Scanned with CamScanner